खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

अपील वाद संख्या–10/2025

जिला–पटना

बिमल कुमार ... वादकर्ता

बनाम

समाहर्त्ता, पटना एवं अन्य ... प्रतिपक्ष

आदेश

04.09.2025

A. 1. यह अपील वाद श्री बिमल कुमार द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के CWJC No.-2641/2025 में दिनांक–08.05.2025 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है।

2. अपीलार्थी द्वारा अपील वाद में समाहर्त्ता, पटना के आदेश ज्ञापांक–3581/एम0, दिनांक–11.12.2024 को चुनौती दी गई है, जिसके माध्यम से बालूघाट संख्या–01 के बावत अग्रधन/प्रतिभूति राशि को जप्त किया गया, सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश को रद्द किया गया एवं उन्हें दो (02) वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया।

B. Issues for determination:-

(क) क्या समाहर्त्ता द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में बंदोबस्त बालूघाट का स्वीकृत्यादेश रद्द करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त किया जाना नियम संगत है ?

(ख) क्या उक्त कार्रवाई बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–28 के तहत संभव है ?

(ग) अपीलार्थी द्वारा समर्पित नया बिन्दु यथा पुल के निर्माण के संबंध में आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है ?

C. विवेचना :–

1.1 इस मामले में अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश दिनांक–08.01.2024 को निर्गत होने के बाद दिनांक–17.10.2024 को अन्य प्रक्रियाएँ पूर्ण करते हुए CTO प्राप्त कर लिया गया था।

1.2 जिला खनन कार्यालय, पटना द्वारा दिनांक–21.10.2024 एवं 01.11.2024 को प्रथम किस्त की राशि तथा अन्य देय करों का भुगतान करते हुए एकरारनामा निष्पादन हेतु पत्र दिया गया।

उल्लेखनीय है कि बालूघाटों के शीघ्र संचालन हेतु समय–सीमा का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या–1731, दिनांक–10.05.2024 द्वारा कर दिया गया था जिसकी कंडिका–8 में CTO प्राप्ति के अधिकतम 03 दिनों के अंदर प्रथम किस्त एवं अन्य देय राशि का भुगतान किया जाना है तथा कंडिका–9 के अधीन अगले तीन दिनों के अन्दर एकरारनामा का निष्पादन किया जाना है। यह बात अविवादित है कि इस समयावधि में अपीलार्थी द्वारा यह कार्य नहीं किया गया तथा यह काम 29 दिनों के विलम्ब के बाद दिनांक–16.11.2024 को किया गया।

1.3 विलम्ब से हुए भुगतान के उपरांत एकरारनामा निष्पादन के लिए दिये गये पत्रांक–3328, दिनांक–19.11.2024 के माध्यम से वैधानिक स्वीकृति के साथ एकरारनामा निष्पादन नहीं करने के संदर्भ में अपीलार्थी को पक्ष रखने का मौका दिया गया। इसी के प्रतिउत्तर में अपने पत्रांक–शून्य, दिनांक–21.11.2024 में अपीलार्थी ने तत्समय नदी की मुख्य धारा निर्धारित घाट से ही बहने के कारण उचित दिशा–निर्देश की माँग की ताकि Water Table को प्रभावी किये बिना खनन कार्य किया जाय। उल्लेखनीय है कि प्रतिउत्तर में भी अपीलार्थी ने न तो नियम–28 के संदर्भ में कुछ कहा है, न ही कहीं पुल का मुद्दा उठाया है।

1.4 पुनः समाहर्त्ता, पटना द्वारा अपने पत्रांक–3417, दिनांक–27.11.24 में अंतिम रूप से एकरारनामा कराने हेतु स्मार दिया गया, जिसका अनुपालन भी अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–47(2)(c), विभागीय अधिसूचना संख्या–1731, दिनांक–10.05.2024 के अंतिम कंडिका, निविदा दस्तावेज की कंडिका–19 (iii), सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश के कंडिका–9(xi) के तहत तथा मॉडल डीड के Part-VII की कंडिका–42 में पट्टाधारी द्वारा ससमय राशि जमा नहीं कराये जाने तथा एकरारनामा निष्पादित नहीं करने की स्थिति में प्रतिभूति जब्त करते हुए स्वीकृत्यादेश प्रतिसंहृत किये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

1.5 उपरोक्त स्थिति में समाहर्त्ता, पटना द्वारा दिये गये आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप (interference) की आवश्यकता नहीं है।

2.1 जहाँ तक बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–28 के applicability का प्रश्न है यद्यपि यह नियम अध्याय–IV के तहत बताया गया है, परंतु इस नियम के प्रथम उप कंडिका में ही अंकित है "Where a mineral concession is granted under the rules the formal lease deed shall be executed by the Collector."

नियमावली के नियम–2(xvi) एवं 2(xvii) से स्पष्ट है कि Mineral Concession and Mineral Concession Holder का प्रयोग सभी प्रकार के Minor Minerals (बालूघाट सहित) के लिए किया जाता है। यही नहीं नियम–28(1) में अंकित Form B पर भी "Model form of mining lease for minor mineral" स्पष्ट अंकित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि

नियम–28 को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के अध्याय–IV में शामिल किया गया है, परन्तु इसकी applicability बालूघाट के लिए भी है। यह भी उल्लेखनीय है कि CWJC No.-9310/2025 उमा एसोसिएट इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 तथा बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विभाग का पक्ष प्राप्त किया गया, जिसमें यही पक्ष रखा गया था।

2.2 अगर interpretation के बिन्दु पर भिन्नता मान भी ली जाय तो भी जैसा कि कंडिका–1.5 में भी स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में प्रतिभूति जब्त करने तथा स्वीकृत्यादेश प्रतिसंहृत करने की कार्रवाई नियम संगत है।

3. जहाँ तक बालूघाट के नजदीक नये पुल बनाने का प्रश्न है, यह बिन्दु पहली बार अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखा गया। न तो यह बिन्दु समाहर्त्ता के समक्ष लाया गया और न ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट में इसका उल्लेख है। इस संदर्भ में भी सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के समक्ष भी खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा google sheet का प्रिन्टआउट दिखाया गया था, जिसमें बालूघाट के नजदीक पुल का कार्य मार्च, 2025 के गूगल–शीट में पाया गया है जो LOI निर्गत किये जाने के बाद का है। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलार्थी को कोई relief देय नहीं है। यद्यपि खनिज विकास पदाधिकारी, पटना निदेशित हैं कि तथाकथित पुल के निर्माण के वर्तमान स्थिति के अनुरूप EMGSM, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप निर्माण से दूरी के नियम का पालन करते हुए ही बालूघाट की बंदोबस्ती हेतु कार्रवाई करें।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1987 /एम0, दिनांकः– 08/09/25

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, पटना/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, पटना/ श्री बिमल कुमार, पिता–श्री श्याम सुन्दर यादव, कुर्जी मोड़, सदाकत आश्रम, थाना–दीघा, जिला–पटना, ईमेल–avinashshekhar05@gmail.com /आई0 टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08.9.2025

विशेष कार्य पदाधिकारी